अंक- 57
जनवरी- जून 2016
ISSN. 0972-5881

ग्रामीण विकास समीक्षा

महिला सशक्तिकरण

विशेषांक

राग्रावि पं रासं
NIRDPR

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. (भारत)

क्र.सं.	विषय एवं लेखक	पृ. सं.
12.	ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और जेण्डर आधारित भेदभाव ● डॉ. अमरनाथ शर्मा ● डॉ. सुचित्रा शर्मा	112-117
13.	महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षकों का अभिमत ● डॉ. स्मिता पंचोली ● डॉ. मितेष जुनेजा	118-124
14.	छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण ● डॉ. अशोककुमार जायसवाल	125-133
15.	भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के उपकरण जनमाध्यम ● संदीप भट्ट	134-142
16.	ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं आरोग्य ● डॉ. मीनू जैन	143-147
17.	महिला सशक्तिकरण : भारतीय परिदृश्य अवलोकन ● आशीषकुमार तिवारी	148-151
18.	कृषिरत महिला : बढ़ती जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ ● शिवाजी अरगडे ● अनन्ता सरकार ● सागर वाडकर	152-155
19.	महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्पीड़न के प्रति स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन (सागर जिले के संदर्भ में) ● ममता व्यास ● मोहसिन उद्दीन	156-165
20.	भारत में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की भूमिका ● डॉ. दशमन्तदास पटेल ● राजेशकुमार मर्सकोले	166-170
21.	महिला सशक्तिकरण; ''एक पहल'' ● सीमा जाट	171-173
22.	कहाँ से हो तेरी शुरुआत ● दिवाकर चौधरी	174-176
23.	महिला एवं महिला सशक्तिकरण ● रामराज रेड्डी	177-181

12. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और जेण्डर आधारित भेदभाव

डॉ. अमरनाथ शर्मा*
डॉ. सुचित्रा शर्मा**

शोध सारांश

भारतीय समाज के विकास में स्त्री व पुरूष दोनों एक दूसरे के पूरक है जिसे प्रकृति ने स्वीकृत किया। जितनी महत्वपूर्ण भूमिका पुरूष की है, उतनी ही महिला की भी होती है। यह बात और है कि देश की सामाजिक स्थितियों और पंरपराओं के कारण ग्रामीण महिलाओं के योगदान को न तो महत्व दिया गया और न ही अवसर प्रदान किया गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक वस्तुओं की खोज महिलाओं ने ही की है। गांवों में महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी से कार्य करती है। कृषि के साथ-साथ घर के कार्य, बच्चों की देखभाल, ईंधन लाना और पशुओं की देखरेख, सफाई का विभिन्न काम संपन्न करती है। बावजूद इसके उनके कार्य की अनदेखी तथा असमानता का व्यवहार किया जाता है, जो कि शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक होता है।

स्त्री एवं पुरुष के बीच विभिन्नता को सामान्य रूप से जेण्डर कहा जाता है। जिसका आधार शारीरिक न होकर सामाजिक सांस्कृतिक होता है। भारत चूंकि गांवों का देश है अतः जब ग्रामीण विकास की बात होती है तो यह जेण्डर असमानता उसे प्रभावित करती है। भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जड़ें इस असमानता को पोषित करती है। ऐसे में जब ग्रामीण महिलाओं के विकास को देखना है, उन्हें सशक्तिकरण की राह का सजग एवं प्रखर वाहक बनाना है तो इस असमानता को दूर करने के प्रयासों को जमीनी तौर से खत्म करने की सार्थक पहल करनी होगी।

इस दिशा में शहरों में तो परिवर्तन की लहर दिखती है परन्तु ग्रामीण महिलाएं अभी भी इस जेण्डर असमानता से जूझ रही है। हर क्षेत्र में उनकी स्थिति का आकलन कम तर ही आंका जाता है। प्रस्तुत शोध आलेख में इन्हीं बिन्दुओं को जानने का प्रयास किया गया कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में जेण्डर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था किस तरह बाधक है ?

---

* इंदिरागांधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई
* शास. वि.या.ता. स्वशासी, स्नातकोत्तर महा.दुर्गा

भूमिका :-

विकास की एक आदर्श स्थिति वह है जहाँ लोगों की आवश्यकतानुसार संसाधनों का विकास हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि ये संसाधन समाज के सभी लोगों और वर्गों के बीच सही तरीके से विभाजित हो। आज एक ओर हम इस बात के लिए प्रयासरत है कि समाज में विभेद समाप्त हो। दूसरी ओर हमारी सामाजिक व्यवस्था जेण्डर भेदभाव पर आधारित है जिससे हम जुड़े हुए हैं और हमारी मानसिकता भी इसी व्यवस्था से पोषित होती रहती है। इस व्यवस्था में पुरूष और महिलाओं में दर्जा तय होता है, जिसका एक मात्र निष्कर्ष है हमारा जैविक लिंग जो न तो हम ने चुना है और न कमाया है। इस तरह जो जैविक होता है वह नैसर्गिक होता है, जिसे आधार बनाकर स्त्री-पुरूष में दर्जा तय किया जाता है।

इतिहास को देखें तो महिलाओं की स्थिति पूजनीय और दैवीय रूप से मान्य थी। आज ऐसी कई परंपराएं विद्यमान हैं, जिनमें लड़के का होना और पुत्रवती भव का आशीर्वाद उनके दर्जे की उच्चता का आधार रहा परन्तु धीरे-धीरे उनकी स्थिति बदलने लगी और उनके विकास के लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव की बुनियाद पड़ी। समय बदला, परिवेश बदला और हमारी दृष्टि में भी काफी परिवर्तन आया। विकास के तत्व शहर व नगरों से होते हुए गाँव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। सूचना और संचार तकनीक ने जैसे विकास को सभी के लिए सुलभ कर दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रति जागरूकता ने महिलाओं को उत्प्रेरित किया है। राजनैतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से, शासन-प्रशासन की जागरूकता से और प्रयास परिलक्षित होने लगे है पर इन बातों के अलावा अभी भी कुछ ऐसे पहलू है जो ग्रामीण महिलाओं के विकास में बाधक हैं। इतनी योजनाएँ बनीं और क्रियान्वित भी हुई परन्तु अपेक्षित परिमामों से हम अभी भी दूर है। एक तरफ परम्परागत प्रतिमान और महिला पुरूष के बीच भेदभाव अर्थात् 'जेण्डर असमानता' एक बहुत बड़ा अवरोधक है।

उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक जेण्डर असमानता का विश्लेषण करना है जिसे द्वितीयक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

जेण्डर :-

शाब्दिक रूप में जेण्डर (लिंग के आधार पर) जैविकीय अर्थ को बताता है। अंग्रेजी

भाषा में दो अलग-अलग शब्द है जो शारीरिक अंतर याने सेक्स को बताते हैं । सेक्स व जेंडर के लिए हिन्दी में एक ही शब्द लिंग प्रयुक्त होता है । प्रकृति ने दो सेक्स स्त्री पुरुष की रचना की है, जिन्हें अलग-अलग गुण देकर एक दूसरे का पूरक बनाया परन्तु हर समाज में नारीत्व व पुरूषत्व के लक्षण पाये जाते हैं और समाज की संस्कृति निर्धारित करती है कि नारीत्व एवं पुरुषत्व का रूप क्या हो ? ऐन अकेली ने कहा है कि 'जेण्डर' का संबंध संस्कृति से है । उसका तात्पर्य उन सामाजिक श्रेणियों से है जिनमें मर्द व औरतें, 'पुरूषोचित' और 'स्त्रियोचित' रूप लेते हैं ।''

हमारे समाज में यह धारणा है कि सेक्स व जेण्डर दोनों ही एक है । इन्हें अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता है बल्कि एक ही अर्थ के पर्यायवाची शब्दों के रूप में इन दोनों शब्दों का उपयोग किया जाता है । वस्तुतः इन दोनों में पर्याप्त अंतर है । प्रकृति स्त्री-पुरूष का निर्माण करती है और समाज उसके अंदर स्त्रीत्व और पुरूषत्व का निर्माण करता है । अर्थात् जेण्डर-शब्द का अर्थ औरत एवं मर्द दोनों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिभाषा है अर्थात् समाज द्वारा स्त्री व पुरूषों को किस प्रकार देखा जाता है । उन्हें कैसी भूमिकाएँ, अधिकार एवं संसाधन दिये जाते हैं । इस तरह सेक्स जैविकीय, स्थायी, अपरिवर्तनशील तथा प्रकृति की देन है जबकि जेण्डर सामाजिक,सांस्कृतिक परिवर्तनशील तथा मनुष्य द्वारा निर्मित है ।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जेण्डर आधारित भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है । यही नहीं एक ही समाज में रहने वाले पुरूषों और महिलाओं में रीति-रिवाजों, धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफी अंतर है, जो कभी जानबूझकर किया जाता है तो कभी अनजाने में होता है । भारतीय समाज में जेण्डर भेदभाव का प्रारंभ परिवार में पुत्र प्राप्ति की लालसा से शुरू होता है । बेटियों को 'पराया धन' और पुत्र को 'कुल दीपक' मानने वाले परिवारों में यह विभेद और ज्यादा होता है ।

ग्रामीण समाज में जेण्डर आधारित भेदभाव :-

पहले हमारा आदिम जीवन इतना सरल था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति शिकार एवं भोजन संकलन करके किया करता था । उस समय भोजन की खोज में भटकने से उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा । तब उस समय एक समझौता हुआ होगा कि घर की व्यवस्था तथा बच्चों की देखभाल का काम महिलाएँ करेंगी तथा बाहर से भोजन का संग्रह करने की जिम्मेदारी पुरूष संभालेगा । यह कोई जैविकीय विभाजन नहीं बल्कि जेण्डर के आधार पर श्रम, विभाजन था । धीरे-धीरे यहीं व्यवस्था दृढ़ होती

गई और कार्य के आधार पर उच्चता व निम्नता की मान्यताएँ भी बनती चली गई । जब सामाजिक संस्तरण हुआ तो उसका आधार शक्ति, धन एवं प्रतिष्ठा था । महिलाओं का नाम पिता या पति से जुड़ा हुआ होता था । घर के अंदर कार्यों में संलग्नता ने महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया को सीमित कर दिया और उनकी निर्भरता पुरूषों पर बढ़ने लगी ।

यह नहीं ये जेण्डर भेदभाव हर समाज में भी अलग-अलग है । कमला भसीन ने लिखा है - ''जेण्डर सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं, प्राकृतिक नहीं । यह इसी बात से साबित हो जाता है कि ये समय के साथ अलग-अलग जगहों पर भिन्न-भिन्न सामाजिक समूहों में भिन्न होती है ।'' इस जेण्डर आधारित व्यवस्था को हम निम्न चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं :-

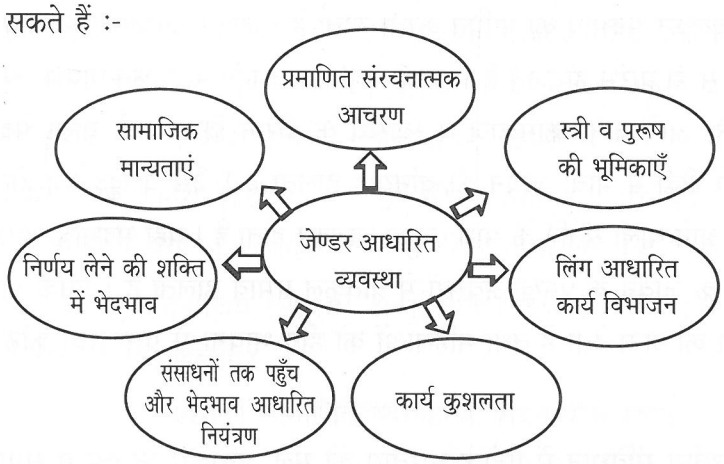

समाज की मान्यताएँ कि पुरूष शक्तिशाली एवं तार्किक है और महिलाएँ कमजोर व भावुक है । पुरूषों का सार्वजनिक स्थान पर रोना अच्छा नहीं माना जाता है । उसे अर्थोपार्जन करना चाहिये और वह जो चाहे निर्णय ले सकता है । इसकी तुलना में महिलाएँ रो सकती है उन्हें सबका ख्याल रखना चाहिये । त्यागी व ममतामयी हो, घर के काम कर, बच्चों की देखभाल में संलग्न होना चाहिये । इस तरह उक्त चक्रानुसार सभी बाते एक दूसरे को पोषती है । जिसका परिणाम हमें समाज में देखने को मिलता है । स्त्री और पुरूष दोनों में जो भी दायरा तोड़ता है उसे समाज अच्छी नजर से नहीं देखता ।

भारत चूँकि गाँव प्रधान देश है । अतः ग्रामीण परिवेश जेण्डर आधारित भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण है । जैसे पुरूष के लिए नाश्ता करना, खेत पर जाकर फसलों से संबंधित काम करना, वापस आकर नहाना, भोजन कर आराम करना, खेत पर फिर से जाना, वहाँ के काम निपटाना विशेषकर कीट तथा फसलों की रक्षा हेतु दवा का छिड़काव

करना, रात्रि का भोजन, फिर बाहर जाकर दोस्तों से बातें करना, चौपाल जाना या भजन मंडली में बैठना और अंत में सो जाना। जबकि महिलाओं के लिए जल्दी उठकर पशुओं को चारा देना, घर की सफाई, गोशाला की सफाई, कण्डे बनाना, जंगल या खेत से चारा और ईंधन लाना, फिर नहाकर सबके लिए भोजन बनाना, सबको खाना खिलाना, बर्तन मांजना, खेतों के काम में मदद करना, पशुओं को चारा देना, रात का भोजन बनाना, खिलाना तथा सोने से पहले सास-ससुर की सेवा करना।

इस तरह परिवार में हुए समाजीकरण की प्रक्रिया से लड़के व लड़की में भिन्नता के प्रतिमान विकसित होते हैं। जिनका पालन वे आगे की परंपरा निर्वाह में करते हैं। जो आगे चलकर भेदभाव को पोषित करता रहता है। जेण्डर आधारित भेदभाव परिवार में बचपन से ही प्रारंभ हो जाते हैं। लड़के-लड़कियों का जन्म, पालन-पोषण, खान-पान, उठने-बैठने, आने-जाने, कामकाज व स्वास्थ्य के दौरान किया जाने वाला भेदभाव ही आने वाली पीढ़ी में भावी जीवन की बुनियाद डालता है। जैसे वे खुद पले होते हैं वैसे ही अपनी आने वाली संतति के साथ उनका व्यवहार होता है। यही भेदभाव आगे चलकर महिलाओं के जीवन के प्रमुख अवसरों में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उनके बीच गहरी असमानता को जन्म देता है तथा महिलाओं को हीन भावना से ग्रस्त तथा कुंठित करता है।

भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय को मूल अधिकार के रूप में समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसाधनों तक पहुँच एवं उनके नियंत्रण के मामले में भारत में आज भी महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ता है। जो कि स्वास्थ्य, पोषण, लिंग-अनुपात, साक्षरता, शैक्षणिक उपलब्धियों, दक्षता का स्तर, व्यवसाय आदि सूचकांकों से प्रदर्शित होती है। जनसंख्या के प्रतिवेदनों के अवलोकन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आज ऐसे अनेक जेण्डर प्रतिरोध है जो महिलाओं के अधिकारी को उनकी सेवाओं तक पहुँचने से न केवल रोकते हैं बल्कि उनका लाभ लेने से भी वंचित कर देते हैं। शासन द्वारा बनाई गई योजनाएँ उनके विकास की प्रक्रिया में तब तक बाधक का काम करेगी जब तक कि इन अवरोधों को दूर न किया जाये। ऐसी स्थिति में भी देश का संपूर्ण आर्थिक प्रगति का लक्ष्य भी केवल सीमित जनसंख्या तक होगा, आधी आबादी अब भी इनकी पहुँच एवं लाभों से दूर रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ऐन ओकली (1972) सेक्स जेण्डर एण्ड सोसायटी ।
2. भसीन कमला (2002) भला यह जेण्डर क्या है ? मुद्रण, नई दिल्ली ।
3. दोषी एवं जैन (2000) समाजशास्त्र नई दिशाएँ : नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर ।
4. गौतम कृपा (2010) भारतीय स्त्री : लिंग अनुपात एवं सशक्तिकरण मिश्रा पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली ।
5. गौड, वंदना (2009) ''आधुनिक समाजिक व्यवस्था में लिंग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण'' समाज कल्याण वर्ष 54 अंक 8, मार्च पेज 10-11
6. प्रामाणिक, रवीन्द्र नाथ तथा अधिकारी अशीम कुमार (2006) जेण्डर इनइक्वालिटी एंड वुमेनस एमपावरमेंट अभिजीत पब्लिकेशन, दिल्ली.
7. सिंह अरूण कुमारी (2003) ''जेण्डर की अवधारणा : एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण'' रिसर्च लिंक, वर्ष-2, अंक-8, सितम्बर नवंबर पेज - 50-64
8. सिंह, वी. एवं जनमेजय (2010) आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
9. शर्मा. के. एल. (2011) सामाजिक स्तरीकरण, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
10. त्रिपाठी, मधुसूदन एवं आदर्श कुमार (2012) लिंगीय समाजशास्त्र, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली ।